राजभाषा कार्यान्वयन समिति

- *विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन सभी छोटे -बडे कार्यालयों में किया जाना है चाहे उनमें अनुसचिवीय कर्मचारियों की संख्या कुछ भी हो।*
- *कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान इस बैठक के अध्यक्ष होते हैं। सहायक निदेशक (रा.भा.) या हिंदी का कार्य देखने वाले कार्मिक इसके सदस्य-सचिव होते हैं।*
- *कार्यालय के सभी अधिकारी/ पर्यवेक्षी कर्मचारी इसके सदस्य होते हैं। प्रत्येक तिमाही में समान अंतराल पर इसकी बैठकें आयोजित की जानी आवश्यक हैं।*
- *राजभाषा विभाग या मंत्रालय का निरीक्षण दल या संसदीय राजभाषा समिति इस बैठक के नियमित आयोजन पर विशेष ध्यान देती है। किसी कार्यालय में हिंदी की प्रगति और प्रसार का मुख्य आधार यह समिति ही है। यह समिति जितनी ही प्रभावी होगी उतनी ही तीव्र गति से कार्यालय में हिंदी का प्रयोग बढेगा।*
- *इस समिति की बैठक में केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद की संबद्ध शाखा के प्रतिनिधि, हिंदी शिक्षण योजना के वरिष्ठ अधिकारी, राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के प्रतिनिधि को भी आमंत्रित करना चाहिए।*
- *विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा, वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति, पुरस्कार योजनाएं, हिंदी शिक्षण, हिंदी टाइपिंग / आशुलिपि / कंप्यूटर प्रशिक्षण, हिंदी दिवस / सप्ताह / पखवाडा / माह का आयोजन, संसदीय राजभाषा समिति की संस्तुतियों पर जारी आदेशों, निरीक्षण, दिए गए आश्वासनों पर चर्चा की जाती है।*

****